राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर –राज0

पीठासीन अधिकारी : दयानन्द रूयल, तहसीलदार

मिसल संख्या : 253/18

किस्म मुकदमा : राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 12.03.2019 निर्णय दिनांक :

राजस्थान सरकार बनाम भंवरलाल पुत्र घीसाराम जाति स्वामी नि0 पांचवा

–: उनवान :–

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पांचवा द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भंवरलाल पुत्र घीसाराम जाति स्वामी निवासी पांचव ने ग्राम पांचवा के खसरा नम्बर 271 कुल रकबा 21.57 हैक्टेयर में से रकबा 0.0496 हैक्टर किस्म गै.मु. गौचर भूमि पर सम्वत 2075 में अनाधिकृत रूप से छडियों द्वारा बाड़ बनाकर अतिक्रमण कर लिया है पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की प्रति अप्रार्थी मौके पर नही मिला तथा अप्रार्थी के घर पर चस्पा की गयी। अप्रार्थी अनुपस्थित रहा।

अप्रार्थी अनुपस्थित रहा जिससे उसके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई अप्रार्थी का अनुपस्थित रहना इस बात को जाहिर करता है। कि अप्रार्थी ने जान बूझकर राजकीय भूमि पर अतिकमण किया है। एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहे है।

अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिकमी घोषित किया जाता है अप्रार्थी को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर, की डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11153/2011 सोमोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 11.03.2019 की पालना में ग्राम पांचवा के आराजी राज खसरा नम्बर 271 कुल रकबा 21.57 हैक्टेयर किस्म गै. मु. गौचर भूमि में से रकबा

तहसीलदार कुचामन
जिला- नागौर

0.0496 हैक्टेयर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप अप्रार्थी पर लगाान 0.25 का पच्चास गुणा से राशि 13/— अक्षरे तेहर रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को अप्रार्थी को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावें । आरोपित शास्ति की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 7/7/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दयानन्द रूयल)
तहसीलदार,कुचामन सिटी
जिला नागौर राज0

माँग कायमी रा.ले.स.-4
पृष्ठ संख्या 38
वर्ष 20-21
रा.जुर्माना —
क.निलामी —
गोचर जुर्माना 13
प्रा.पैदावार —
तरा.ले कुचामन सिटी